# समाहरणालय, पटना।
## (शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

## –: आदेश :–

10.2.2014

आवेदक **श्री कुमार माधव,** पिता–श्री शैलेन्द्र कुमार, सा0–ब्लॉक–बी, फ्लैट सं0–602, कौशल्या स्टेट, बन्दर बगीचा, थाना–कोतवाली, जिला–पटना, स्थाई पता–सा0–पंडारक, अहमदपुर टोला, वार्ड सं0–14, थाना–पंडारक, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–142/2011 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच/सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1204/गो0, दिनांक–29.09.2012 द्वारा जाँचोपरान्त बिना अनुशंसा के मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़ द्वारा थानाध्यक्ष, पंडारक एवं अंचल निरीक्षक, हाथीदह के मंतव्य एवं आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में संलग्न कर बिना अनुशंसा के अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, पंडारक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे व्यवसाय करते हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा व्यवसाय आदि से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है एवं मांगने पर प्रस्तुत भी नहीं किया गया है, जिसके आधार पर आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गई है।

अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया। शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) के तहत प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री कुमार माधव, पिता–श्री शैलेन्द्र कुमार, सा0–ब्लॉक–बी, फ्लैट सं0–602, कौशल्या स्टेट, बन्दर बगीचा, थाना–कोतवाली जिला–पटना, स्थाई पता–सा0–पंडारक, अहमदपुर टोला, वार्ड सं0–14, थाना–पंडारक, जिला–पटन के आवेदित एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

**लेखापित एवं संशोधित।**

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी
पटना।